[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 54/2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2018

सा0का0नि0.....(अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 89 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(4ख) जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने-

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया ,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा ।''।

3. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

''(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को-

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 48/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1320(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 41/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्तूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है ; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 78/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 79/2017-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग,

सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए ।''।

[फा0 सं0 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट.)]

(डा0 श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा, जो सा0का0नि0 सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित किए गए थे और सा0का0नि0. 1007 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 53/2018-केंद्रीय कर, तारीख 9 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।